

**राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)**

गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : प.15(5)(जी)राजमेस/कोर्ट केस/ 2017

दिनांक:

स्थायी आदेश संख्या 2/2018

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर की ओर से अथवा के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर न्यायिक प्रकरणों में सोसायटी की ओर से पक्ष प्रस्तुति/प्रतिरक्षण कार्यवाही के लिए प्रभारी अधिकारी को नियुक्त करने की शक्तियों समन्वयक, राजमेस को प्रदान की जाती है।

ह०

(आनन्द कुमार)

अध्यक्ष, कार्यकारी समिति एवं  
शासन सचिव चि.शि.

क्रमांक : प.15(5)/डी.एम.ई/राजमेस/कोर्ट केस/ 2017/182

दिनांक: 24/01/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ पीठ जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज,  
भरतपुर/भीलवाडा/पाली/डूंगरपुर/चूरु/ सीकर/बाडमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समन्वयक, राजमेस।
8. रक्षित पत्रावली



उप विधि परामर्शी, राजमेस